

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2110, 2111 / 2013 / जयपुर

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
विशेष वृत्-षष्ठम्, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अपेक्ष मेटकेम प्राइलि0,
193-ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया,
झोटवाडा, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

कैम्प जयपुर

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन.के. वेद,
उप राजकीय अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री दिनेश कुमार,
अधिकृत अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 11 / 12 / 2015

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपील संख्या 298 / 299 / अपील्स-III / आरवीएटी / ई / जयपुर आदेश दिनांक 13.09.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्-षष्ठम्, जयपुर (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19.11.2012 के द्वारा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में कमशः रूपये 54,342/- व रूपये 72,753/- कायम मांग राशियों को अपास्त किया है।
2. उक्त अपील प्रकरणों के विवादित बिन्दु व तथ्य सादृश्य हैं। अतः उक्त अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यार्थी व्यवहारी के वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के कमशः पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.02.2011 एवं 23.02.2011 के पुनरावलोकन पर पाया गया कि प्रत्यार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत आलौच्य अवधि की प्रस्तुत वैट ऑडिट रिपोर्ट के साथ आयकर ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं की गई है जिसके कारण राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम की धारा 73(2) के तहत सकल आवर्त का 1 / 10 प्रतिशत शास्ति आरोपणीय है। इस संबंध में

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया जिसके प्रतिउत्तर में जवाब पेश किया गया जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकर किया जाकर उपरोक्त तालिकानुसार शास्ति कायम की गई है, कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त कर दिया। विद्वान अपीलीय अधिकारी के इस आदेश से व्यवित होकर अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय में शास्ति को अपास्त किया जाना अनुचित है क्योंकि प्रार्थी व्यवहारी द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली ऑडिट रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत नहीं की है अतः धारा 73(2) के तहत शास्ति आकर्षित होती है एवं तदनुरूप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश में आरोपित शास्ति का समर्थन किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना सोचे समझे आदेश पारित किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष आयुक्त वाणिज्यिक कर की अधिसूचना दिनांक 18.10.2007 के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित वांछित ऑडिट रिपोर्ट नियत प्रपत्र में भर कर निश्चित समयावधि में प्रस्तुत कर दी गई थी। उक्त अधिसूचना के अनुसार नियत प्रपत्र में आयकर अधिनियम के तहत विहित ऑडिट रिपोर्ट भेजना बाध्यकारी नहीं है, केवल अधिनियम का उल्लेख मात्र करना होता है जिसके तहत ऑडिट रिपोर्ट दी गई है। प्रत्यार्थी व्यवहारी के द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों के आधार पर ही नियमित कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने केवल राय भिन्नता के आधार पर धारा 33 के तहत उक्त शास्ति का आरोपण किया है। माननीय शीर्ष न्यायालयों के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया जाना अविधिक माना गया है। प्रत्यार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने वर्णित अधिसूचना की छाया प्रति भी पेश की है और कथन किया है कि पारित कर निर्धारण आदेश में आरोपित शास्ति पूर्णतया अविधिक है, जिसे अपास्त किया जावे और इस आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने का निवेदन किया गया।

लगातार.....3

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ऑडिट रिपोर्ट के सम्बन्ध में अधिनियम के तहत निम्न प्रकार प्रावधान है :—

"73. Audit of Accounts- (1) Every registered dealer, other than the dealer who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3 or under section 5 or who files e-returns with prescribed documents or submits returns and documents in soft copy to the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner or the dealer or class of dealers as may be notified by the State Government, shall if his turnover exceeds rupees one hundred lacs in any year, get his accounts in respect of such year audited by an Accountant within the prescribed period from the end of that year and furnish within the prescribed period the report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such Accountant setting forth such particulars and certificates as may be prescribed."

तथा नियमों के तहत निम्न नियम प्रावधित है :—

"(6) Every dealer registered under the Act shall maintain separate accounts for exempted goods and so furnished within [ten months] from the end of the relevant financial year, in the form as may be specified by the Commissioner."

आयुक्त वाणिज्यिक कर महोदय की अधिसूचना दिनांक 18.10.2007 का अवलोकन किया गया। तदनुसार नियत प्रपत्र में आयकर अधिनियम के तहत ऑडिट रिपोर्ट दिये जाने का अंकन नहीं पाया जाता है। परिपत्रानुसार केवल जो ऑडिट रिपोर्ट दी गई है उस अधिनियम का उल्लेख मात्र करना होता है। परिपत्र में जो शब्दावली अंकित की गई है वह यह है (Mention the name of the act under which has been done) प्रत्यार्थी व्यवहारी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को नियमित कर निर्धारण वक्त स्वीकार किया गया है, जिसे रायभिन्नता रखने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त विवादित आदेश पारित कर शास्ति आरोपित की है। चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी ने विधि की अपेक्षा के अनुसार प्रावधानों की पालना कर दी थी। अतः वर्णित परिस्थितियों में आरोपित शास्ति का विधिक औचित्य नहीं पाये जाने के कारण अपीलीय अधिकारी के विवेचनानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण अनुचित है। तदनुरूप अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाये जाने से पुष्टि की जाती है।

6. फलत: राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय प्रसारित किया गया।

11.12.2015
(मदन लाल)
सदस्य